न्यायालयः सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:–36 / 2012 पुनः दर्ज 01 / 2022 — दर्ज दिनांक 15.02.2012

जी सी एम एस न0 2022 / 16 — निर्णय दिनांक 25.01.2023

1. बोदूराम पुत्र घासीराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी गोदारों का बास ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. रामकरण पुत्र घासीराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी गोदारों का बास ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदकगण

1. गंगाधर पुत्र रामलाल उम्र 50 वर्ष
2. सागर पुत्र हुक्माराम उम्र 40 वर्ष
3. श्योपाल पुत्र ज्ञानाराम उम्र 50 वर्ष
4. श्रीराम पुत्र जीताराम उम्र 25 वर्ष
5. नथूराम पुत्र जीताराम उम्र 28 वर्ष
6. सुलतान पुत्र कालूराम उम्र 55 वर्ष
7. मोहन लाल पुत्र कालूराम उम्र 45 वर्ष
8. झाबर मल पुत्र हर्षाराम उम्र 75 वर्ष
9. धन्नाराम पुत्र हर्षाराम उम्र 70 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण गोदारों का बास ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

10. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

अनावेदकगण

<u>प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश</u>

निर्णय

दिनांक 25.01.2023

आवेदकगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी बोदूराम आदि बनाम गंगाधर आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि ग्राम सिंगनौर के भूमि खाता संख्या 86 तथा खसरा न. 426 से 433 तक तथा 435, 436, 438, 439, 1227 / 459, 1228 / 982, 1229 / 440, 1230 / 982, 1275 / 982, 1374 / 439, 1375 / 431, 1376 / 429, 1377 / 1430 का कुल क्षेत्रफल 10.5000 है0 जिसमें आवेदकगणों का 1 / 8 हिस्सा है। आवेदक संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि में से 0.27 है0 भूमि बेचान कर दी है। आवेदकगणों के 1 / 8 हिस्से में 1.3125 है0 भूमि आती है जिसमें 0.27 है0 बेचने के बाद शेष 1.0425 है। आवेदकगणों की शेष भूमि 1.0425 है0 में से लगभग 0.30 है0 पर कब्जा आवेदकगण संख्या 2 का है शेष भूमि 0.7425 है0 भूमि अनावेदकगण को साझे में खेती करने हेतु पिछले वर्ष गेंहू की फसल में बटाईदार के लिए उपलब्ध करवाई थी। आवेदकगणों ने गेंहू की फसल की बटाई का हिस्सा प्राप्त कर लिया है तथा बाजरे की फसल की भी बटाई की फसल प्राप्त कर ली थी। परन्तु अब आवेदकगणों ने भूमि को बार–बार खाली करने हेतु अनावेदकगणों को कहा था। परन्तु अनावेदकगणों ने खाली नहीं की है। हमने समाज के बड़े बुजुर्गों से भी कहलावा दिया है परन्तु वे हमारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया और यह कह रहे हैं कि यह तो हमारी है। यह आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के पक्ष होने से अपूर्णीय क्षति भी आवेदकगण को ही कारित होती है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे इस भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं करे त[illegible] कोई कच्चा व पक्का निमार्ण कार्य करें तथा ना ही किसी प्रकार का रहन–सहन [illegible] अनावेदकगण स्वयं करे एवं ना ही अपने किसी नौकर, चाकर रिश्तेदार, [illegible]जन आदि [illegible]करवाए तथा तादौराने वाद मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र [illegible] वास्ते [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

एकपक्षीय बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि उक्त विवादित भूमि में आवेदक संख्या 1 की भूमि में से 0.27 है0 भूमि बेचान कर दी है। आवेदकगणों के 1/8 हिस्से में 1.3125 है0 भूमि से 0.27 विक्रय करने के पश्चात् शेष भूमि 1.0425 हैं, जिसमें 0.30 है0 पर कब्जा आवेदकगण संख्या 2 है तथा शेष भूमि 0.7425 है0 अनावेदकगण को साझे में खेती करने हेतु पिछले वर्ष गेंहू की फसल में बटाईदार के लिए उपलब्ध करवाई थी। आवेदकगणों ने फसल की बटाई का हिस्सा प्राप्त कर लिया था। अब आवेदकगणों ने अनावेदकगणों को भूमि खाली कराने को कहा तो अनावेदकगणों ने भूमि खाली नहीं की। अनावेदकगण के परिवार के लोगों की संख्या, शक्ति, सामर्थ्य बहुत ज्यादा है इसलिए इन्होंने बलपूर्वक कब्जा बना रखा है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सिंगनौर की भूमि खसरा न. 426 से 433, 435, 436, 438, 439, 1227/459, 1228/982, 1376/429, 1377/1430 में आवेदकगण के हिस्से 1/8 तक मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

25/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 25.01.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 18:03:15 IST
Reason: SelfAttested